

पुलिस

अधीक्षक

जनपद

आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in



पत्र संख्या- 03/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 01.01.2025

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 01.01.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना- रानी की सराय: चोरी गये सामान के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 28.12.2024 को वादी रमेश चन्द्र बरनवाल पुत्र स्व० विश्व गुप्त बरनवाल नि० सदावर्ती चौक थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि प्रार्थी के टायर की दुकान बेलइसा मे स्थित है ,मेरी दुकान मे किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा दुकान का ताला तोड कर दुकान मे घुस कर आलमारी का ताला तोड कर 5000रु० व तीन एटीएम , BOB-2 , UBI 01 चोरी कर लिए तथा BOB एटीएम से 65000रु० निकाल ले जाने के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 374/2024 धारा 331(4)/305(ए) बी०एन०एस० बनाम नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया है । मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित प्रकाश मे आया अभियुक्त श्रीवास्तव पुत्र स्व० सुरेन्द्र लाल श्रीवास्तव नि० देवईत थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष को गिरफ्तार कर मा० न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तारी की विवरण-

दिनांक- 31.12.2024 को उ०नि० अजय प्रताप सिंह, उ०नि० संतोष कुमार यादव मय हमराह द्वारा दौरान चेकिंग दो मोटरसाइकिल पर तीन सवार व्यक्ति छतवारा की तरफ से आते हुए दिखाई दिये जिन्हे रुकने का इशारा किया गया तो तेजी से दोनो व्यक्ति मोटरसाइकिल मोड़ कर पुनः जिस दिशा से आ रहे थे उसी दिशा में भागे की हम पुलिस कर्मियों के द्वारा मोडने में मोटरसाइकिल की गति धीमी होने के कारण एक व्यक्ति को उ०नि० संतोष कुमार यादव व का० राजेश कुमार के द्वारा एक व्यक्ति को दौडाकर पकड लिया गया । पकडे गये व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो दुर्गेश लाल श्रीवास्तव पुत्र स्व० सुरेन्द्र लाल श्रीवास्तव नि० देवईत थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष तथा दो व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठा कर खेतो से होते हुए फरार हो गये तथा जामा तलाशी लेने पर कोई आपत्तिजनक बस्तु बरामद नही हुआ तथा चोरी किये गये रुपयो एव DVR के सम्बन्ध में पूछने पर बताया कि साहब मेरे घर पर DVR व रुपये मौजूद है जिन्हे मै आप को बरामद करा सकता हूँ । इस पर पकडे गये व्यक्ति दुर्गेश लाल श्रीवास्तव पुत्र स्व० सुरेन्द्र लाल श्रीवास्तव नि० देवईत थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ को लेकर उसके घर पल्हनी गये जहां कुल 48750रु० नगद व चोरी का DVR बरामद हुआ । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर दिनांक 31.12.2024 समय करीब 22.30 बजे गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया है।

पंजीकृत अभियोग/ आपराधिक इतिहास-

- (1) मु0अ0सं0 374/2024 धारा 331(4)/305ए बी0एन0एस0 थाना रानी की सराय आजमगढ़
- (2) मु0अ0स0 299/2024 धारा 331(4)/305ए बी0एन0एस0 थाना रानी की सराय आजमगढ़
- (3) मु0अ0स0 177/2024 धारा 331(4)/305(ए)बी0एन0एस0 थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर
- (4) मु0अ0स0 455/2024 धारा 305/331(4) बी0एन0एस0 थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

1-दुर्गेश लाल श्रीवास्तव पुत्र स्व0 सुरेन्द्र लाल श्रीवास्तव नि0 देवईत थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- (1) उ0नि0 अजय प्रताप सिंह थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
- (2) उ0नि0 संतोष कुमार यादव थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
- (3) का0 राजेश कुमार थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़



02. थाना- महाराजगंज: किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में) –

अभियुक्तगण व उनके साथियों द्वारा आवेदिका की लड़की उम्र 16 वर्ष के साथ छेड़खानी करना व बहला फुसला कर भगा ले जाने का प्रयास करना ग्राम वासियों द्वारा उपरोक्त तीनों अभियुक्तों को चाकू के साथ पकड़ लेना व इनके साथी अजय गौड़ व सुरज हरिजन बोलेरो वाहन संख्या यू.पी. 50 एक्स. 8798 से भाग जाने के संबंध तथा उ0नि0 अमित कुमार तिवारी के द्वारा अभियुक्त उपरोक्त की व बरामद चाकू को अभियुक्तों के पास से अलग अलग बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 497/2024 धारा 74 बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट 1.विजय गौड़ पुत्र रामप्रसाद निवासी ईश्वरपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष 2.रुपेश पुत्र बिहारी गौतम निवासी देवारा हरखपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 48 वर्ष 3.ऋषभ किशोर पुत्र नन्दकिशोर निवासी जगजीवनपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष 4.अजय गौड़ पुत्र अज्ञात पता अज्ञात 5. सुरज हरिजन पुत्र अज्ञात पता अज्ञात व मु0अ0सं0 498/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम विजय गौड़ पुत्र रामप्रसाद निवासी ईश्वरपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष व मु0अ0सं0 499/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम रुपेश पुत्र बिहारी गौतम निवासी देवारा हरखपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 48 वर्ष व मु0अ0सं0 500/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम ऋषभ किशोर पुत्र नन्दकिशोर निवासी जगजीवनपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष पंजीकृत है।

गिरफ्तारी की विवरण-

दिनांक- 31.12.24 को उ0नि0 अमित कुमार तिवारी मय हमराह द्वारा वांछित अभियुक्त 1.विजय गौड़ पुत्र रामप्रसाद निवासी ईश्वरपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ 2.रुपेश पुत्र बिहारी गौतम निवासी देवारा हरखपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ 3.ऋषभ किशोर पुत्र नन्दकिशोर निवासी जगजीवनपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ को समय करीब 19.30 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

पंजीकृत अभियोग-

- 1.मु0अ0सं0 497/2024 धारा 74 बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट
2. मु0अ0सं0 498/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम विजय गौड़ पुत्र रामप्रसाद निवासी ईश्वरपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष
3. मु0अ0सं0 499/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम रुपेश पुत्र बिहारी गौतम निवासी देवारा हरखपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 48 वर्ष
4. मु0अ0सं0 500/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम ऋषभ किशोर पुत्र नन्दकिशोर निवासी जगजीवनपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1.विजय गौड़ पुत्र रामप्रसाद निवासी ईश्वरपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष
- 2.रुपेश पुत्र बिहारी गौतम निवासी देवारा हरखपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 48 वर्ष
- 3.ऋषभ किशोर पुत्र नन्दकिशोर निवासी जगजीवनपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष

बरामदगी 3 अदद चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 श्री अमित कुमार तिवारी व का0 मुकेश यादव थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़



03. थाना मुबारकपुर: चोरी के सामान व अवैध तमंचा कारतूस के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना:-

दिनांक 10.12.2024 को वादी मुकदमा अमन वर्मा पुत्र स्व0 राजू वर्मा मुहल्ला पुरारानी, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर लिखित सूचना दिया कि मेरी श्रृष्टि ज्वेलर्स के नाम से मुहल्ला इस्लामपुरा, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ में स्थित है दिनांक 08.12.2024 को सुबह जब मैं दुकान खोलने के लिए गया तो देखा कि मेरी दुकान का ताला टूटा हुआ है तब मैं दुकान का शटर उठाकर अन्दर गया तो देखा कि अन्दर रखा सामान पूरा बिखरा था जिसमें चाँदी का पायल, बिछिया, कील इत्यादि ज्वेलरी के सामान अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी कर लिया गया है तथा मेरे दुकान के पास से ही दो दुकानों में भी चोरो द्वारा चोरी का प्रयास किया गया के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 484/2024 वधारा 305(2),62 BNS बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री मुरारी मिश्र द्वारा सम्पादित की जा रही है। जिसकी विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 01.01.2025 को प्रभारी निरीक्षक निहार नन्दन कुमार के निर्देशन में उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव मय हमराह व उ0नि0 मुरारी मिश्र मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के दौरान सईदनगर गजहड़ा से दो नफर अभियुक्त को हिरासत में लिया गया जिनके कब्जे से एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा एक अदद तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व चोरी के 7 जोड़ी सफेद धातु के पायल व 18 अदद सफेद धातु के बिछिया, 910 रुपया व एक अदद लोहे की राड बरामद किया गया। अभियुक्तगण को उनके जुर्म धारा 305(2),62,317(2) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट का अपराध बताते हुए समय करीब 02.56 बजे गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी का विवरण:-

- 1- एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
- 2- एक अदद तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर
- 3- चोरी के 7 जोड़ी सफेद धातु के पायल व 18 अदद सफेद धातु के बिछिया, 910 रुपया व एक अदद लोहे की राड

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1.पवन कुमार पुत्र विद्यासागर सा0 महरूपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष
- 2.अनिल कुमार पुत्र रामकेश सा0 महरूपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 29 वर्ष



04.थाना- मेंहनगर: गोवध में एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 26.12.2024 को SHO अनुराग कुमार मय हमराह उ0नि0 अवधेश नरायन दूबे, को सूचना मिली कि ग्राम विषहम में हासिम S/O शाह आलम के घर में प्रतिबंधित मांस काटा जा रहा है जल्दी किया जाय तो पकड़े जा सकते है इस सूचना पर तत्काल पुलिस ग्राम विषहम में हासिम के घर के पास पहुँचकर मौके पर हासिम S/O स्व0 शाहआलम R/O विषहम थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ को गिरफ्तार किया गया तथा शेष चार लोग 1.सलमान S/O स्व0 शाहआलम R/O विषहम थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ 2. नदीम S/O कल्लू R/O विषहम थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ बताया तथा शेष दो व्यक्तियो नाम पता अज्ञात फरार हो गये। गिरफ्तार अभियुक्त के घर फिल्ड यूनिट की उपस्थिति में 53 किलो ग्राम प्रतिबंधित मांस, दो चापड (बडा) एक छुरा(चाकू) एक स्टील का राड बरामद 53 kg के साथ समय करीब 17.00 बजे हिरासत पुलिस लिया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मेंहनगर पर पर मु0अ0सं0 541/24 धारा 3/5/8 गोबध निवारण अधि0 बनाम . हासिम पुत्र स्व0 शाहआलम सा0 बिषहम थाना मेहनगर जनपद आजमगढ 2.नदीम पुत्र कल्लू सा0 बिषहम थाना मेहनगर जनपद आजमगढ 3. सलमान पुत्र स्व0 शाहआलम सा0 बिषहम थाना मेहनगर जनपद आजमगढ 4.

दो व्यक्ति का नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 01.01.2025 को उ0नि0 आदिल खाँ मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त नदीम पुत्र कल्लू ग्राम विषहम थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ को एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतुस .315 बोर के साथ खडंजा सड़क के पास से समय करीब 11.31 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार थाना मेंहनगर पर मु0अ0सं0 01/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1-नदीम पुत्र कल्लू ग्राम विषहम थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ बरामदगी का विवरण:-

1- एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतुस .315 बोर बरामद पंजीकृत अभियोग –

1- मु0अ0सं0 541/24 धारा 3/5/8 गोबध निवारण अधि0 व मु0अ0सं0 01/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर आजमगढ



05.थाना रौनापार: अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक शातिर अपराधी गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

दिनांक 01.01.2025 को उ0नि0 श्री अखिलेश सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान रामनगर तिराहे के पश्चिम खड़जा मार्ग से समय करीब 04.50 बजे एक नफर अभियुक्त अमन पुत्र महेन्द्र सा0 रामनगर कुकरौछी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष को एक अदद देशी तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना रौनापार पर मु0अ0सं0 01/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायाल किया गया है।

पंजीकृत अभियोग--

1- मु0अ0सं0 01/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 261/24 धारा 307,504,506,395,412 भा0द0वि0 थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1-अमन पुत्र महेन्द्र सा0 रामनगर कुकरौछी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष बरामदगी-

1- एक अदद देशी तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज अभियुक्त के पास से बरामदा



06. थाना अतरौलिया: अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व का विवरण-

दिनांक 01.01.2025 को उ0नि0 संतोष कुमार थाना अतरौलिया आजमगढ़ द्वारा चेकिंग दौरान सिकन्दरपुर चौराहे के पास से अभियुक्त गोविन्द निषाद पुत्र पुत्र नन्दलाल निषाद निवासी ग्राम मकदूमपुर थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकर नगर उम्र-19 वर्ष के पास से एक अदद नाजायज तमन्चा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ । पकड़े गये व्यक्ति/अभियुक्त को अवैध शस्त्र रखने की धारा 9/25 आर्म्स एक्ट का दण्डनीय अपराध बताते हुये समय 00.45 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 01/2025 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना अतरौलिया आजमगढ़

